



क्र. सं.
आ. सं.
म. सं.

मैट्टेड बनाम हरिनिह का
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्र. सं.
26/2025

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

जिसका पगोड़ा साक्ष्य सबूतो के आधार पर विधित
निस्तारण किया जाना है अतः मूल नोट के विधित निस्तारण
होने तक प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थापी निषेधाज्ञा
आदेश दिनांक 06/03/2025 को अन्त में किया जाना उचित
प्रतीत होता है।

अतः उचित उभयपक्ष बहस पर मसमूले
एवं पत्रावली के अन्त में के आधार पर प्रकरण में
जारी अंतरिम अस्थापी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक
06/03/2025 को मूल नोट के विधित निस्तारण होने
तक/ तापतला मूल नोट अन्त में किया जाना है। पत्रावली
के अन्त में शुमार होना बाद तक मील हम डिग मूल नोट रहे।

र. व. र.
उपखण्ड अधिकारी
बादीकुई

Handwritten notes in the left margin, including the number '6' and some illegible text.